अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांकः प. 4(26)देव/2017 जयपुर, दिनांक 19 जुलाई, 2018

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा संख्या 74 वर्ष 2017–18 के क्रियान्वयन में श्री तिरूपति बालाजी तथा श्री बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को ठहराने की सुविधा हेतु पुनर्भरण योजना के वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति।

संदर्भः– आपका पत्र सं. एफ. 7(35)लेखा/निर्माण/देव/2017/9036 दिनांक 14.5.2018 एवं पत्रांक 9037 दिनांक 14.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा संख्या **74 वर्ष 2017–18** की क्रियान्विति के क्रम में श्री तिरूपति बालाजी तथा श्री बद्रीनाथ धाम धर्मिक तीर्थ स्थलों पर जाने वाले राजस्थान राज्य के तीर्थ यात्रियों को उक्त तीर्थ स्थलों पर अवस्थित धर्मशालाओं/होटलो एव गेस्ट हाउसेस में ठहरने की सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु, विभागीय पुनर्भरण योजना प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 मे संबधित बजट मद में प्रावधित राशि/उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों की सीमा के अन्तर्गत, वित्तीय व्यय एवं समय सीमा के अनुरूप पुनर्भरण किए जाने हेतु विभागीय प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति, निम्नानुसार जारी की जाती है :–

क्रं. सं.	देय मासिक किराया		वार्षिक योग
	विकल्प	कमरा (किराया प्रतिदिन रू 900/– अधिकतम मानते हुए)	
1	कुल 10 कमरे पूरे माह (20 दिन) के लिए	600x10x20 days= 120000/-	1440000.00

1. राज्य के यात्रियों को स्वयं की इच्छा पर किसी भी होटल/धर्मशाला/गेस्ट हाउस मे स्वयं के भुगतान पर अधिकतम 3 दिन ठहरने की छूट रखते प्रति यात्री प्रतिदिन अधिकतम किराया 300/– प्रतिदिन होगा, जिसमें आवासी सुविधा (Dormitory) दिए जाने की स्थिति मे एक तिहाई राशि का व्ययभार स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा और शेष दो तिहाई राशि का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ–साथ यात्री से टिकिट, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं विश्रामगृह/होटल में ठहरने का बिल एवं बैंक खाता नम्बर के लिए पासबुक की प्रति एव ठहरने के लिए आशय का शपथ पत्र लेकर, आवेदक के बैंक खाते में आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा पुनर्भरण की कार्यवाही की जावेगी।
3. उक्त राशि का व्यय लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एव नियम 2013 के प्रावधानो तथा तत्सम्बधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं/दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना अपने स्तर सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(करणसिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

लेखा/निर्माण

कार्यालय आयुक्त देवस्थान आवक शाखा

(कर[illegible])
सहायक शासन सचिव